न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 64/2025

बउनवान

सरकार जर्ये रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां (प्रार्थी)

बनाम

श्री आलोक शर्मा पुत्र श्री शिवकुमार शर्मा निवासी अन्ता (अप्रार्थी)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 18.02.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.12.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक उपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी हमराह संतोष कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, धीरज कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, राधेकृष्णा रेस्टोरेन्ट चाय कॉफी शॉप पर पंहुचे। मौके पर मैनेजर श्री आलोक शर्मा पुत्र श्री शिवकुमार शर्मा निवासी अन्ता उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के खण्ड़ 3 का उल्लंघन पाये जाने पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स अन्ता गैस सर्विस अन्ता की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित होने के उपरांत दौराने विचारण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस प्रार्थी की सुनी गई।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.16 15:18:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

...वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 1 गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा BPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (1) 691504, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/- रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेते है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक रूबरू मैसर्स अन्ता गैस सर्विस अन्ता को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.16 16:18:21 IST
Reason: SelfAttested